छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011
(भाद्रपद-7, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री आत्माराम इंगोले, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री दूजराम बौद्ध, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित होकर 11.19 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3.घोषणा

छत्तीसगढ विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की प्रश्नकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण जी.एन.एन. न्यूज चैनल द्वारा किया जायेगा। जी.एन.एन. न्यूज चैनल राज्य के सभी केबल नेटवर्क के साथ डिश (डी.टी.एच.) पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही दूरदर्शन द्वारा रिकार्डेड प्रश्नकाल की कार्यवाही पूर्वानुसार सांध्यकाल में प्रसारित की जायेगी।

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 (कुल 01) प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

वित्तीय कार्य	**निर्धारित समय**
वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	03 घंटे

	विधि विषयक कार्य	**निर्धारित समय**
(1)	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011	1 घंटा 30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011	2 घंटे
(3)	छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र बल विधेयक, 2011	1 घंटा 30 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सोमवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को सभा की बैठक नहीं होगी तथा इस दिन संपादित किया जाने वाला वित्तीय कार्य वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण मंगलवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2011 को संपादित किया जायेगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शनिवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को भी सभा की बैठक होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7.अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) पटल पर रखा।

8. फरवरी-मार्च, 2011 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार फरवरी-मार्च, 2011 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

9. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2011 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2011 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

10. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर तथा तृतीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2011 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से 12 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर तथा तृतीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2011 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से 12 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

11.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान
(2) श्री धर्मजीत सिंह
(3) डॉ.शक्राजीत नायक
(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज
(5) श्री देवजी पटेल

12.पृच्छा

प्रदेश में खाद की कमी व कालाबाजारी संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग

नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में खाद की कालाबाजारी एवं खाद की कमी होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई।

13.व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - खाद की अनुपलब्धता विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर विचार कर मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया। वस्तुतः यह विषय स्थगन सूचना का नहीं है क्योंकि यह कोई घटना विशेष नहीं, अपितु संपूर्ण प्रदेश में निरंतरता में प्रचलित कार्यवाही है। स्थगन की ग्राह्ता की शर्त पूरी नहीं होती। इस सदन में इस विषय पर मुझे आज लगभग 12.00 बजे नियम 139 के अंतर्गत रासायनिक खाद एवं प्रामाणिक बीजों की कमी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, यदि सदन सहमत हो तो मैं अभी इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नियम 139 के चर्चा के स्थान पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने नियम 139 के तहत चर्चा प्रारंभ करने का अनुरोध किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.35 बजे स्थगित की जाकर 12.58 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होने पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आसंदी द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया है। आसंदी के निर्णय के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आसंदी ने नियम 139 पर चर्चा की अनुमति दी है एवं शासन ने उस पर सहमति भी दी है, उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे नियम 139 पर चर्चा प्रारंभ करें।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि नियम 139 के अधीन चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके लिये सदन की कार्यसूची का पुनर्निधारण करना आवश्यक है। कार्यसूची अभी जारी नहीं हुई है तो उस पर चर्चा कैसे हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की भावनाओं को देखकर नियम 139 की चर्चा को स्वीकार किया गया है, इस पर चर्चा प्रारंभ करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को जानकारी दी कि अनुपूरक कार्यसूची जारी की जा रही है। नियम 139 के अधीन आज ही चर्चा होगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांगेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य निरंतर नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।

14. वक्तव्य

प्रदेश में रासायनिक खाद की उपलब्धता के संबंध में सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

प्रदेश में रासायनिक खाद की उपलब्धता के संबंध में श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने वक्तव्य दिया।

15. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, हृदयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, जयसिंह अग्रवाल, बोधराम कंवर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, महंत श्री रामसुदंर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, भजन सिंह निरंकारी, सौरभ सिंह, दूजराम बौद्ध।

15. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबित हुए सदस्यों के निलंबन की अवधि दिनांक 30 अगस्त, 2011 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए निर्धारित की गई है।

अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 30 अगस्त, 2011 (भाद्रपद 8, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा